

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ 21 रूल 6,7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी शिवगंज जिला-सिरोही(राज.)  
बइजलास-श्रीमती शकुंतला चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 17/2021 (जीसीएमएस नं0 2021/55)  
दायरा दिनांक : 15-09-2021  
आदेश दिनांक : 19-06-2024

वादी:-  
परबतसिंह पुत्र रामसिंह जी जाति राजपूत निवासी बागसीन तह0 शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादी:-

1. नरपतसिंह पुत्र जब्बरसिंह जी जाति राजपूत निवासी बागसीन तहसील शिवगंज जिला सिरोही
2. चैनसिंह पुत्र जब्बरसिंह जी जाति राजपूत निवासी बागसीन तहसील शिवगंज जिला सिरोही
3. श्रवणकुंवर पुत्री जब्बरसिंह जी पत्नि चंदनसिंहजी, निवासी बागसीन हाल निवासी झाक, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
4. धापकुंवर पत्नि स्वर्गीय जब्बरसिंहजी जाति राजपूत निवासी बागसीन तहसील शिवगंज जिला सिरोही
5. चंद्रकुंवर पुत्री रामसिंहजी पत्नि हनवंतसिंहजी जाति राजपूत निवासी बागसीन हाल निवासी जलदाय विभाग कार्यालय मुख्य बाजार रानी/(गुडा भीमसिंह), तहसील रानी, जिला पाली
6. शोभा कुंवर पुत्री रामसिंहजी पत्नि कालुसिंह, जाति राजपूत निवासी बागसीन हाल निवासी थलवाड, तहसील सायला जिला जालोर
7. संतोष कुंवर पुत्री रामसिंह जी पत्नि महेन्द्रसिंहजी जाति राजपूत निवासी बागसीन हाल निवासी देवकी तहसील आहोर, जिला जालोर
8. राजस्थान सरकार, जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, शिवगंज।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाद कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। मिनजानिब प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि-

वादी अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत वास्ते वाद वापस लेने आदेश 23 नियम 1,2,3 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि मौजा बागसीन पटवार हल्का बागसीन तहसील-शिवगंज जिला-सिरोही के खसरा नम्बर 31/1136, 309, 310, 311, 312, 312/1143, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 342, 343, 344, 345, 346 कूल किता 17 कुल रकबा 77-05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत वास्ते विभाजन, रेकर्ड में इंद्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त वाद खारीज किया जाता है। इसी कदर का डिकी पर्चा जारी हो।

यह मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.06.2024 को जारी किया गया।

( शकुंतला )

आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
शिवगंज (सिरोही)  
(उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज